

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 472 / दो-06-105 / 19

शिवपुरी, दिनांक: 23 / 11 / 2021

श्री राहुल मौर्य, पंजीयन लिपिक / सहा. ग्रेड-3 न्यायालय सीजेएम शिवपुरी का दिनांक 13.12.21 से 17.12.21 तक कुल 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 61 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही / -

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी, म0प्र0।

8/3662  
पृष्ठां.क्रमांक : ..... / दो-06-105 / 19  
प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

शिवपुरी, दिनांक: 24 / 11 / 2021

1. न्यायालय सीजेएम शिवपुरी।
2. श्री राहुल मौर्य, पंजीयन लिपिक / सहा. ग्रेड-3 न्यायालय सीजेएम शिवपुरी।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग / आवक-जावक लिपिक जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. ✓ जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

34 प्रशासनिक अधिकारी  
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
✓ शिवपुरी म.प्र.।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 468 / दो-06-92 / 19

शिवपुरी, दिनांक: 23 / 11 / 2021

श्रीमती जमुना माहौर, सहा. ग्रेड-3 न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी का दिनांक 22.11.21 से 27.11.21 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 117 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही /—  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी, म0प्र0।

**B/3663**

पृष्ठां.क्रमांक : ..... / दो-06-92 / 19  
प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

शिवपुरी, दिनांक: 24 / 11 / 2021

1. न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी।
2. श्रीमती जमुना माहौर, सहा. ग्रेड-3 न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग / आवक-जावक लिपिक जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

39. प्रशासनिक अधिकारी  
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
✓ शिवपुरी म.प्र.।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म०प्र० ॥

॥ आदेश ॥

क्रमांक : 476/दो-06-183/20

शिवपुरी, दिनांक:-23/11/2021

श्रीमती स्मिता जैन, सहा. ग्रेड-3, ग्रंथालय अनुभाग शिवपुरी को म.प्र. शासन वित्त विभाग बल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-1/2015/नियम/चार दिनांक 22.08.2015 के पालन में म०प्र० सिविल सेवा (अवकाश) नियम-1977 के नियम-38 (सी) के अंतर्गत, दिनांक 22.11.2021 से दिनांक 21.03.2022 तक कुल 120 दिवस का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

संतान पालन अवकाश अवधि में श्रीमती स्मिता जैन को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।


सही/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शिवपुरी म०प्र०।

पृष्ठां.क्रमांक : B/3665 /दो-06-183/20  
प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

शिवपुरी, दिनांक:-24/11/2021

1. प्रभारी अधिकारी ग्रंथालय अनुभाग शिवपुरी।
2. श्रीमती स्मिता जैन, सहा. ग्रेड-3, ग्रंथालय अनुभाग शिवपुरी।
3. लेखापाल, लेखा अनुभाग/आवक-जावक लिपिक जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को ई-मेल आई-डी के माध्यम से सूचित करें।

  
प्रशासनिक अधिकारी  
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शिवपुरी म.प्र.।



॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 465/दो-06-199/20

शिवपुरी,दिनांक: 23/11/2021

श्री अंकेश लोधी, स्टेनो ग्रेड-3 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर का दिनांक 29.11.21 से 04.12.21 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 91 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी, म०प्र०।

पृष्ठां.क्रमांक: 8/3669/दो-06-199/20

शिवपुरी,दिनांक: 24/11/2021

प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

1. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर जिला शिवपुरी।
2. श्री अंकेश लोधी, स्टेनो ग्रेड-3 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पिछोर जिला शिवपुरी।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को ई-मेल आई-डी के माध्यम से सूचित करें।

39 प्रशासनिक अधिकारी

कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शिवपुरी म.प्र.।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म0प्र0 ॥

॥ आदेश ॥

क्रमांक : 473/दो-06-132/19

शिवपुरी,दिनांक:-23/11/21

श्री राहुल पहारिया, स्टेनो ग्रेड-3 न्यायालय द्वितीय जिला न्यायाधीश करैरा जिला शिवपुरी को म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञा.क्र.एफ. 4/7/2003/नियम/चार, दिनांक 15.09.03 के अनुक्रम में दिनांक 22.11.21 से 01.12.21 तक कुल 10 दिवस का पितृत्व अवकाश, जो उनके अर्द्धवेतन अवकाश लेखा से द्विगुणित मात्रा में विकलनीय होगा, स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।

पितृत्व अवकाश स्वीकृति पश्चात् अर्द्धवेतन अवकाश लेखे में 110 स्वत्व शेष है।


सही/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शिवपुरी,म0प्र0।

पृष्ठां.क्रमांक : 813673/दो-06-132/19  
प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

शिवपुरी,दिनांक:-24/11/21

- 1- न्यायालय द्वितीय जिला न्यायाधीश करैरा जिला शिवपुरी।
- 2- श्री राहुल पहारिया, स्टेनो ग्रेड-3 न्यायालय द्वितीय जिला न्यायाधीश करैरा जिला शिवपुरी।
- 3- लेखापाल, लेखा अनुभाग जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को ई-मेल आई-डी के माध्यम से सूचित करें।

  
उप-प्रशासनिक अधिकारी  
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
✓ शिवपुरी,म.प्र.।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 474 / दो-06-250 / 21

शिवपुरी, दिनांक: 23 / 11 / 2021

श्रीमती मनीषा आदिवासी, भृत्य नजारत अनुभाग करैरा जिला शिवपुरी का दिनांक 25.10.21 से 30.10.21 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 16 दिवस का स्वत्व शेष है।


सही / -

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी, म०प्र०।

पृष्ठां.क्रमांक 8/3672 ..... / दो-06-250 / 21  
प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

शिवपुरी, दिनांक: 24 / 11 / 2021

1. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग करैरा जिला शिवपुरी।
2. श्रीमती मनीषा आदिवासी, भृत्य नजारत अनुभाग करैरा जिला शिवपुरी।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. ✓ जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को ई-मेल आई-डी के माध्यम से सूचित करें।

  
उप. प्रशासनिक अधिकारी  
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
✓ शिवपुरी म.प्र.।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 471/दो-11-10/10

शिवपुरी,दिनांक: 23/11/2021

श्री राकेश शर्मा, सहा. ग्रेड-3/नायब नाजिर नजारत अनुभाग करैरा जिला शिवपुरी का दिनांक 06.12.21 से 17.12.21 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।


अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 300+3 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/-  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी, म0प्र0।

पृष्ठां.क्रमांक : 8/367 /दो-11-10/10  
प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

शिवपुरी,दिनांक: 24 /11/2021

1. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग करैरा जिला शिवपुरी।
2. श्री राकेश शर्मा, सहा. ग्रेड-3/नायब नाजिर नजारत अनुभाग करैरा जिला शिवपुरी।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को ई-मेल आई-डी के माध्यम से सूचित करें।

  
उप-प्रशासनिक अधिकारी  
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
✓ शिवपुरी म.प्र.।



॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 469/दो-11-30/08

शिवपुरी,दिनांक: 23/11/2021

श्री बालाप्रसाद जाटव, आदेशिका वाहक, नजारत अनुभाग न्यायालय कोलारस का दिनांक 06.12.21 से 11.12.21 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 276 दिवस का स्वत्व शेष है।


सही/—

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी,म0प्र0।

पृष्ठां.क्रमांक B/3690/दो-11-30/08  
प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

शिवपुरी,दिनांक: 23.11/11/2021

1. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कोलारस जिला शिवपुरी।
2. श्री बालाप्रसाद जाटव, आदेशिका वाहक, नजारत अनुभाग न्यायालय कोलारस।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को ई-मेल आई-डी के माध्यम से सूचित करें।

  
प्रशासनिक अधिकारी  
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शिवपुरी म.प्र.।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म0प्र0 ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक:- 475/दो-06-257/21

शिवपुरी, दिनांक-23/11/2021

श्रीमती अंशुल मंगल निगम, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी का दिनांक 22.10.21 का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाकर अवकाश लेखा में जोड़ा जाता है तथा दिनांक 22.10.21 से 01.11.21 तक कुल 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंशुल मंगल निगम को पुनः तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी दर से देय होगा जो अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि, श्रीमती अंशुल मंगल निगम उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी के पद पर कार्यरत रहती।

श्रीमती अंशुल मंगल निगम के अर्जित अवकाश लेखा में 33 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी, म.प्र.।

पृष्ठां.क्रमांक:- <sup>B/368</sup>...../दो-06-257/21

शिवपुरी, दिनांक- 24/11/2021

प्रतिलिपि :-

- 1- श्रीमती अंशुल मंगल निगम, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी।
- 2- लेखापाल/सहा. लेखापाल प्रथम/सांख्यिकी लिपिक, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
✓ शिवपुरी, म.प्र.।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

कमांक : 467 / दो-06-176 / 20

शिवपुरी,दिनांक: 23 / 11 / 2021

श्रीमती आरती शर्मा, स्टेनोग्राफर, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी का दिनांक 02.12.21 से 07.12.21 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 64 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही /—

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी, म०प्र०।

8/3666  
पृष्ठांकमांक : ..... / दो-06-176 / 20  
प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

शिवपुरी,दिनांक: 24 / 11 / 2021

1. न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी।
2. श्रीमती आरती शर्मा, स्टेनोग्राफर, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग / आवक-जावक लिपिक जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



प्रशासनिक अधिकारी  
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
✓ शिवपुरी म.प्र.।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 466 / दो-06-169 / 20

शिवपुरी, दिनांक: 23 / 11 / 2021

श्रीमती वर्षा दुबे, कथन लेखक, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी का दिनांक 09.12.21 से 16.12.21 तक कुल 08 दिवस का अर्जित अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 126 दिवस का स्वत्व शेष है।


सही / -

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी, म0प्र0।

पृष्ठां.क्रमांक 8/3667 / दो-06-169 / 20  
प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

शिवपुरी, दिनांक: 24 / 11 / 2021

1. न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी।
2. श्रीमती वर्षा दुबे, कथन लेखक, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग / आवक-जावक लिपिक जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
34 प्रशासनिक अधिकारी  
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
/ शिवपुरी म.प्र.।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 470/दो-11-01/07

शिवपुरी,दिनांक: 23/11/2021

श्रीमती जयमाला राठौर, साक्ष्य लेखक न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस. सी/एस.टी. एक्ट शिवपुरी का दिनांक 02.12.21 से 09.12.21 तक कुल 08 दिवस का अर्जित अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 300+7 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शिवपुरी, म0प्र0।

8/3668

पृष्ठां.क्रमांक : ...../दो-11-01/07  
प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

शिवपुरी,दिनांक: 24/11/2021

1. न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी. एक्ट शिवपुरी।
2. श्रीमती जयमाला राठौर, साक्ष्य लेखक न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी. एक्ट शिवपुरी।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग/आवक-जावक लिपिक जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

59 प्रशासनिक अधिकारी  
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
✓ शिवपुरी म.प्र.।